

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना दिनांक...

संख्या:-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) / मो0 तारिक इकबाल, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पश्चिमी चम्पारण को जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। स्थानान्तरण के फलस्वरूप इनके स्थान पर श्री सुधांशु शेखर, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेतिया सदर को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उक्त जिला परिवहन पदाधिकारी को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विनय कुमार राय)

सरकार के उप सचिव

पटना दिनांक- 11/8/18

ई0-मेल

ज्ञापांक-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) 4958

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनाथ (आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, बेतिया/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/मोटरयान निरीक्षक, बेतिया/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बेतिया/श्री सुधांशु शेखर, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेतिया सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Me
11/8/18

सरकार के उप सचिव